

Hindi Update on Extension of Eway Bill

हमने अपने कल के अपडेट में बताया था कि COVID-19 के अंतर्गत E-WAY Bill से संबंधित आने वाली समस्या का निदान हेतु नोटिफिकेशन नंबर 35/2020-Central Tax Dated 03.04.2020 जारी किया था उसमें 20.03 2020 से 15.04.2020 के मध्य जारी किए गए यह E-Way बिल की अवधि बढ़ाकर 30-04-2020 कर दी परंतु सरकार ने लॉक डाउन को 3/05/2020 तक बढ़ा दिया था। हिस्ट्री के कारण काफी सारा माल रास्ते में ही चल रहा था। ई वे बिल की समय सीमा को आगे बढ़ाने की utility का प्रयोग भी टेक्स्ट पर नहीं कर पाए क्योंकि ना तो वह फैक्ट्री जा पा रहे थे और ना ही उनका staff फैक्ट्री आ रहा था। इसके लिए उद्योग व व्यापार जगत में काफी सारे प्रतिवेदन सरकार को भेजे थे तथा यह प्रार्थना की थी कि ई वे बिल की मियाद बढ़ा दी जाए।

इस संदर्भ में सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन नंबर 40/2020-Central Tax दिनांक 05-05-2020 जारी किया है उसमें Eway Bill की अवधि 30.04.2020 से बढ़ाकर 31.05 2020 कर दी है इससे अब सप्लायर, ट्रांसपोर्टर एवं ट्रक ड्राइवर दिनांक 20.03.2020 से 15-04-2020 के मध्य जारी किए E-way Bill से आवागमन दिनांक 31.05 2020 तक कर सकते हैं सरकार के इस कदम के लिए हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हम यह एक बार मिलना चाहते हैं की सरकार ने एक बार फिर व्यापार व उद्योग की बात मानकर वर्तमान परिस्थिति में उनकी बहुत ही सहायता की है।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on <https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/> as well as follow us on twitter at <https://www.twitter.com/@capradeepjain21>.